(C) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards (for males and females).
(ii) medical standard : (A) Eye sight - The minimum distant vision should be 6/6 in one eye and 6/9 in other eye without correction that is, without wearing glasses or lenses. (B) Candidates shall not have knock knee, flat foot, Squint in eyes or varicose vein and they shall possess high colour vision. They shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties; or (C) Physical and medical standards as per the Scheme prescribed by the Central Government for the post of Head Constable (Ministerial) in the Central Armed Police Forces from time to time.

(8)	(9)	(10)	(11)
Yes, to the extent indicated under column (7).	Two years. Note.– the candidates on direct appointment shall successfully qualify mandatory induction training or Basic Training Course or Courses as prescribed by the Central Government from time to time before successful completion of the probation period within probation period from his date of appointment, failing which his services are liable to be terminated.	(i) eighty-five per cent. by direct recruitment; and (ii) fifteen per cent. by selection through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by direct recruitment.	By selection through limited departmental competitive examination,– (i) the eligibility criteria of the candidates as per Scheme prescribed by the Central Government in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time; (ii) the candidate shall be in the medical category SHAPE-I, and Having good record in service.

(12)	(13)
Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal - Chairman; 2. Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3. Assistant Commandant (Ministerial), Sashastra Seema Bal - Member. Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal - Chairman; 2. Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3. Assistant Commandant (Ministerial), Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

[F. No. 4/2/SSB/CSC/BN/Gp. ‘C’/SFS/2021]

SHIV LAHRI MEENA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जून, 2024

सा.का.नि. 76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रादेशिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उसका संबंध कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद से है और प्रादेशिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटीं (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, प्रादेशिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कार्यालय अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी (कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कार्यालय अधीक्षक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि.–** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.–** वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक।	4* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (35400—112400 रूपये)।

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजिकी रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणुतत्व या आयुर्विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। अनुभवः औषधि परीक्षण, मानकीकरण और अनुसंधान में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उन के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण : केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से

	लिए न्यूनतम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (अ) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (29200– 92300 रूपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में छह वर्ष सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500– 81100 रूपये) मे नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में दस वर्ष सेवा की हो; और (ब) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित होंगेः 1. औषधि नियंत्रक (भारत), महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं– अध्यक्ष; 2. निदेशक, औषधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य; 3. निदेशक, प्रयोगशाला, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं– सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2 कार्यालय अधीक्षक।	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (35400–112400 रूपये)।

5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत होने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) या प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
सम्मिश्रित पद्वति (प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक अनुबंध सहित या प्रोन्नति द्वारा): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, स्वायत्त या कानूनी संगठन के अधिकारीः (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (29200– 92300 रूपये) मे या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में छह वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500– 81100 रूपये)मे या समतुल्य मे नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः 1. औषधि नियंत्रक (भारत), महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं– अध्यक्ष; 2. निदेशक, औषधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय –सदस्य; 3. निदेशक, प्रयोगशाला, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं– सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

पश्चात् दिए गए ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन में लेखा/प्रशासन/स्थापन कार्य में दो वर्ष का **अनुभव;** **टिप्पण 1:** विभागीय उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500– 81100 रूपये) में ग्रेड में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, पर बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है; इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जायेगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर–बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.12018/1/2020 –डीआरएस]

बिकास आर महतो, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th June, 2024

G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Junior Scientific Assistant and the Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati (Office Superintendent), Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Scientific Assistant and Office Superintendent in Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati, Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati (Junior Scientific Assistant and Office Superintendent) Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classifications and level in pay matrix.—**The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Junior Scientific Assistant.	4*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-06 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not Applicable.	Not exceeding 30 Years (Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issue by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised University or institute. Experience: One year experience in drugs testing, standardisation and research. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission /Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission /Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection, Commission /Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	100 percent by Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix; or (iii) with ten years' service in the grade rendered offer appointment to the post on regular basis in level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services-(Chairperson); 2. Director, Drugs, Ministry of Health and Family Welfare - (member); 3. Director, Laboratory under Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services- (member).	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Office Superintendent.	1*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-06 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.

(5)	(6)
Not applicable.	Not applicable.
(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Two years for promotee.	Deputation including Short Term Contact or by Promotion	Composite method (Deputation Including Short Term Contract or by Promotion): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administration or University or recognized research institutions, public sector undertakings, autonomous or statutory organization: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in pay level 5 (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in pay level 4 (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience,- (i) Bachelor degree from a recognised University or Institute; and (ii) Two years' experience in Accounts/Administration/Establishment work in the Central Government or State Government or Union territory or University or recognized research institutions, public sector undertakings, autonomous body or statutory organization. Note 1: The departmental Upper Division Clerk in Pay Level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having the educational qualifications and experiences prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services -(Chairperson); 2. Director, Drugs, Ministry of Health and Family Welfare - (member); 3. Director, (Laboratory under Central Drugs Standard Control Organisation), Directorate General of Health Services - (member).	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/1/2020-DRS]

BIKASH R MAHATO, Under Secy.